न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 267/2023

1. गीता देवी पत्नि श्री शिशपाल जाति बलाई निवासी ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी)

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ढोली निवासी मालियों की ढाणी चमड़ाघर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी (वादी)

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी सं0 2

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 141, 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 5/9/24

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी) अभिभाषक

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अप्रार्थी (वादी) सं0 1 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2023 को प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी) द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 141, 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत् इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 83/2023 में पारित एकपक्षीय डिक्री निरस्त किये जाने बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि – प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी) द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में एक प्रकरण सं0 83/2023 बउनवानी भंवरलाल बनाम गीता देवी वगै0 अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् दिनांक 19.06.2023 को दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण प्रार्थीया को ग्राम बान्दरसिन्दरी के ख0नं0 279 रकबा 0.5339 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा में ख0नं0 280 का हितधारी एवं पड़ोसी खातेदार बताते हुए संस्थित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तामिल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कुलिन्दा की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 07.07.2023 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 2 का जवाब ग्रहण करते हुए दिनांक 20.07.2023 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीया द्वारा ख0नं0 280 की भूमि को दिनांक 20.06.2023 को ही संपरिवर्तन करवाने के पश्चात् धर्मीचन्द पोखरणा वगै0 को बैचान कर दी थी। दिनांक 15.01.2012 के पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशानुसार संपरिवर्तित भूमि का नामान्तकरण किया जाना विधिमान्य नहीं है। किन्तु यह तथ्य पंजीयत दस्तावेज से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय में अर्जी संस्थन दिनांक 14.06.2023 के पूर्व ही उपरोक्त ख0नं0 280 के हितधारी एवं आधिपत्यधारी दिनांक 08.01.2014 के खरीददार हो चुके थे। प्रार्थीया पर उपरोक्त तामिल कुलिन्दा के नोटिस विधिवत् रूप से निर्वहित है न ही प्रार्थीया के पास नोटिस लेकर आया था। यह तथ्य नोटिस की पृष्ठ पर तामिल रिपोर्ट से ही स्पष्ट है जिस पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुक्रम में कोई विहित आज्ञापक उपबन्ध की पालना नहीं की है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस परिपेक्ष्य में दिनांक 20.07.2023 के आदेश के विरूद्ध संधारण योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 ने नाजायज रूप से प्रार्थीया की भूमि पर वर्ष 2023 में कब्जा किये जाने का प्रयास किया है। जबकि उपरोक्त प्रार्थीया तो उपरोक्त भूमि का बैचान जरिये पंजीयत विक्रय विलेख से कर चुकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2023 का आदेश ख0नं0 280 के वास्तविक हितधारियों को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया गया है जो भारतीय संविधान के अधीन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के प्रतिकूल है। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि दिनांक 01.12.2023 को प्रथम मर्तबा इस प्रकरण में पारित आदेश का संज्ञान होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद अवधि में प्रस्तुत किया है फिर भी तकनीकि रूप से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 07.07.2023 को अमल में लायी गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर दिनांक 20.07.2023 को प्रकरण संख्या 83/2023 भंवरलाल बनाम गीता वगै0 में पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 के वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0

उपखण्ड अधिकारी (किशनगढ़) (अजमेर)

उपखण्ड अ...
किशनगढ़ (अजमेर)

2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

अप्रार्थी (वादी) द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 18.12.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र सं0 83/2023 में प्रार्थी भंवरलाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया कि उसके द्वारा वर्तमान (नई) जमाबन्दी के अनुसार ख0नं0 380 के खातेदार को पक्षकार बनाया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा वैधानिक रूप से उसे नोटिस जारी किया गया है, किन्तु नोटिस के माध्यम से उन्हे इस बात की जानकारी हो गयी कि यह नोटिस ख0नं0 280 (बान्दरसिन्दरी) के बाबत् है इसके बावजूद वह माननीय न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया से जानबूझ कर भाग नहीं लेना चाहती है तो उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी भंवरलाल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 17.07.2023 को उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 20.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 का स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 141, 151 का दिनांक 04.12.2023 को लगभग 5 माह बाद प्रस्तुत किया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी द्वारा वाद में प्रतिवादी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये पेश किया जाता है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध पेश किया गया है जो वैधानिक रूप से वाद की संज्ञा में नहीं आता है। अतः गीता देवी द्वारां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 267/2023 पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। वर्तमान प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 लागू नहीं होने के कारण संहिता की धारा 141 के तहत् गीता देवी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा व्यवहार प्रक्रिया की धारा 151 न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्तियां प्रदान करती है किन्तु न्यायालय इसका उपयोग तभी कर सकता है जबकि न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लम्बित हो। वर्तमान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 83/2023 दिनांक 20.07.2023 को अन्तिम रूप से निर्णित कर दिया गया है। अतः धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध नोटिस के पुष्ट पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गीता देवी एवं उसके पति के द्वारा नोटिस एवं संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के पश्चात् ही उन्होने यह कथन किया कि उनकी बान्दरसिन्दरी में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

भूमि नहीं है, नोटिस का मूल उद्देश्य पक्षकारान् को सूचित करना होता है, जो उन्हे भलीभांती रूप से हो गया तभी उनके द्वारा यह कथन किया कि उनकी भूमि बान्दरसिन्दरी में नहीं है। गीता देवी की इस स्वीकारोक्ति के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में आराजी ख0नं0 280 की खातेदार गीता देवी नहीं है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आराजी ख0नं0 280 के बाबत् भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् धारा 111 व 128 की कोई कार्यवाही में गीता देवी किसी भी प्रकार से भाग नहीं ले सकती है, इस आधार पर भी गीता देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का उल्लेख किया कि उसे दिनांक 01.12.2023 को श्योनाथ पुत्र कालूराम आदेश दिनांक 20.07.2023 की जानकारी दी उसके द्वारा न तो श्योनाथ का शपथ पत्र पेश किया गया क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.2023 की अनुपालना में तहसीलदार एवं उसके साथ गठित टीम के साथ दिनांक 13.10.2023 को भी मौके पर पंहुचे थे और श्योनाथ को दिनांक 13.10.2023 को ही इस आदेश की जानकारी हो चुकी थी, इससे यह तथ्य भलीभांती रूप से साबित हो जाता है कि गीता देवी को इस आदेश दिनांक 20.06.2023 की जानकारी दिनांक 01.12.2023 को हुई बिल्कुल गलत है। अतः धारा 5 कानून मयाद प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 267/2023 पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 (वास्ते स्थगन) स्वतः ही निरस्तनीय है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी) द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में अर्जी संस्थन दिनांक 14.06.2023 के पूर्व ही उपरोक्त ख0नं0 280 के हितधारी एवं आधिपत्यधारी दिनांक 08.01.2014 के खरीददार हो चुके थे। प्रार्थीया पर उपरोक्त तामिल कुलिन्दा के नोटिस विधिवत् रूप से निर्वहित है न ही प्रार्थीया के पास नोटिस लेकर आया था। अप्रार्थी सं0 1 ने नाजायज रूप से प्रार्थीया की भूमि पर वर्ष 2023 में कब्जा किये जाने का प्रयास किया है। जबकि उपरोक्त प्रार्थीया तो उपरोक्त भूमि का बैचान जरिये पंजीयत विक्रय विलेख से कर चुकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2023 का आदेश ख0नं0 280 के वास्तविक हितधारियों को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया गया है जो भारतीय संविधान के अधीन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के प्रतिकूल है। वकील प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी) द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2002 एसएआर (सिविल) पृष्ठ सं0 **557 Sushil Kumar Sabharwal Vs. Gurpreet Singh & Ors, 2008 RBJ Pg No**

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

355 एवं 2018(2) CJ (CIVIL) (RAJ.) Pratap Vs. Hari Singh & Anr. Pg No. 872, Air 1981 Pg No. 53 पंजाब बनाम हरियाणा आदि की ओर ध्यान आकर्षित कर प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 07.07.2023 को अमल में लायी गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर दिनांक 20.07.2023 को प्रकरण संख्या 83/2023 भंवरलाल बनाम गीता वगै0 में पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी (वादी) द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि नोटिस के माध्यम से उन्हे इस बात की जानकारी हो गयी कि यह नोटिस ख0नं0 280 (बान्दरसिन्दरी) के बाबत् है इसके बावजूद वह माननीय न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया से जानबूझ कर भाग नहीं लेना चाहती है तो उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 141, 151 का दिनांक 04.12.2023 को लगभग 5 माह बाद प्रस्तुत किया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी द्वारा वाद में प्रतिवादी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये पेश किया जाता है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध पेश किया गया है जो वैधानिक रूप से वाद की संज्ञा में नहीं आता है। गीता देवी की इस स्वीकारोक्ति के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में आराजी ख0नं0 280 की खातेदार गीता देवी नहीं है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आराजी ख0नं0 280 के बाबत् भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् धारा 111 व 128 की कोई कार्यवाही में गीता देवी किसी भी प्रकार से भाग नहीं ले सकती है, इस आधार पर भी गीता देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 267/2023 पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 (वास्ते स्थगन) स्वतः ही निरस्तनीय है।

4. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0 राजस्व अधिनियम वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् प्रकरणों में पारित आदेश जमाबन्दी/राजस्व मानचित्र अनुसार पत्थरगढ़ी करने बाबत् पारित किये जाते है, उससे काश्तकारों के हित प्रभावित नहीं होते है। मूल प्रार्थना पत्र सं0 83/2023 अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0 राजस्व अधिनियम का वाद की श्रेणी में नहीं आकर प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है तथा आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्रों पर लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थीया (प्रतिवादी/अप्रार्थी) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 141 व 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाकर मूल प्रकरण सं0 83/2023 अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0 राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 5.9.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)